तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 171/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़, पता 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.07.17 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने अपने पत्रांक 333 दिनांक 28.02.04 को मौजा झंवर तहसील लूणी के खसरा नम्बर 1317 रकबा 17.10 बीघा किस्म चाही चतुर्थ में से 2.00 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर जोधपुर को प्रेषित किया गया, से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1144 दिनांक 2011.17 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में कार्यालय के पत्रांकः सू.अ.अ. /2017/1125 दिनांक 10.11.2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने अपील दायर होने के पश्चात् प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया जो खेदजनक है। उक्त पत्र के जरिये प्रार्थी को अवगत कराया गया कि कार्यालय पत्रांक राजस्व/आंव/(जांच)/333 दिनांक 23.02.2004 द्वारा ग्राम झंवर के ख.नं. 1317 की भूमि में से 02.00 बीघा भूमि सामुदायिक सभा भवन हेतु आवंटन किये जाने के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र-ब में मूल ही श्रीमान् कलक्टर जोधपुर को प्रेषित किये जा चुके है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि सूचना कार्यालय से संबंधित न होकर अन्य कार्यालय से संबंधित होने पर संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र स्थानान्तरित करना चाहिए, परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से मंगवाकर सूचना उपलब्ध करावे तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्वशाखा कार्यालय हाजा को भी निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा सूचना चाहे जाने पर सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	